

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० 20९/XXVII(8)/वाणि० कर (पैट)/ 2008

दिनांक: देहरादून: मार्च २० / 2008

८

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीर्वान है।
अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल गूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा ४ की उपपारा (4), रापीठत
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० १ वर्ष 1904) (समय-समय पर
यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2007 की अनुसूची-॥(ख) में, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी, निम्नलिखित
संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची-॥(ख) की—

(1.) क्रमांक 13 की वर्तमान प्रविष्टि में से शब्द आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन हटा दिये
जायेंगे।

(2.) क्रमांक 40 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी।
अर्थात्:

“केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में मोटे अनाज तथा दालों को
छोड़कर यथा विनिर्दिष्ट घोषित माल।”

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 20९/XXVII(8)/वाणिज्य कर(पैट)/ 2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित
अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी
प्रतियों इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250--250 प्रतियों
वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुसूची-॥(ख) का
उत्तराखण्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(लेखक)
(सी०एस०समवाल)
अपर सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 209 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 20 March, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand
VITTA VIBHAG—
NO. 209 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008
Dehradun :: Dated: 20 March, 2008

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased, with effect from 01 April, 2008, to allow the following amendments in Schedule-II(B) of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007-


Amendment

In Schedule-II(B)-

(1) From the existing entry at Sl.No. 13 the words Atta, Maida, Suji and Besan shall be deleted.

(2.) For the existing entry at Sl.No. 40, the following entry shall be substituted namely-

"Declared Goods as specified in Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 except coarse grain and pulses."


(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE